रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2003/आश्विन 4, 1925
No. 889] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2003/ASVINA 4, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2003

का.आ. 1113(अ).— स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेन्ट आफ इंडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् सिमी कहा गया है) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त है जो देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं और जिनसे देश की शांति तथा साम्प्रदायिक सामंजस्य को विछुब्ध और देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने के छिन्न-भिन्न होने की संभावना है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि-

(i) सिमी आतंकवादी गुटों के घनिष्ट संपर्क में है और पंजाब, जम्मू-कश्मीर तथा अन्य स्थानों में उग्रवाद और आतंकवाद को समर्थन दे रहा है ;

(ii) सिमी संघ से भारतीय राज्यक्षेत्र के एक भाग को विलग करने के दावे का समर्थन करता है, इस प्रयोजन के लिए संघर्ष कर रहे ग्रुपों का समर्थन करता है और इस प्रकार भारत की प्रादेशिक अखंडता पर प्रश्न उठाता है ;

(iii) सिमी एक अन्तरराष्ट्रीय इस्लामिक व्यवस्था के लिए कार्य कर रहा है ;

(iv) इखवान सम्मेलन के दौरान सिमी की राष्ट्र विरोधी और उग्रवादी छवियां उन नेताओं के भाषणों से स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थीं जिन्होंने पान इस्लामिक कट्टरवादिता को महिमा

मंडित किया है, अन्य धर्मों के देवी-देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है और मुसलमानों को जेहाद के लिए प्रोत्साहित किया है ;

(v) सिमी ने आपत्तिजनक पोस्टर तथा साहित्य प्रकाशित किया है जो साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्दीप्त करने वाला है और जो भारत की प्रादेशिक अखंडता पर प्रश्न उठाता है ;

(vi) सिमी देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे तथा विभाजित करने वाले क्रियाकलापों की योजना बनाने में संलिप्त है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि पूर्वोक्त कारणों से, सिमी के क्रियाकलाप भारतीय समाज की शांति, एकता और पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए अहितकर हैं और यह एक विधि विरुद्ध संगम है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेन्ट आफ इंडिया (सिमी) को विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि सिमी के विधि विरुद्ध क्रियाकलापों को तत्काल रोका और नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इसे-

(i) विलग करने को प्रोत्साहित करने और उग्रवाद का समर्थन करने ;

(ii) देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने और देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने,

का अवसर मिल जाएगा ।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर वर्णित सिमी के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सिमी को तात्कालिक प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाए और तद्नुसार केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 14017/7/2003-एनआई-III]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2003

S.O. 1113(E).— Whereas the Students Islamic Movement of India (hereinafter referred to as the SIMI) has been indulging in activities which are prejudicial to the security of the country and have the potential of disturbing peace and communal harmony and disrupting the secular fabric of the country;

And whereas the Central Government is of the opinion that-

(i) SIMI is in close touch with militant outfits and is supporting extremism and militancy in Punjab, Jammu and Kashmir and elsewhere;

(ii) SIMI supports claims for the secession of a part of the Indian territory from the Union, supports groups fighting for this purpose, and is thus questioning the territorial integrity of India;

(iii) SIMI is working for an International Islamic Order;

(iv) during Ikhwan conferences, the anti-national and militant postures of the SIMI were clearly manifest in the speeches of the leaders who glorified Pan Islamic Fundamentalism, used derogatory language for deities of other religions and exhorted Muslims for Jehad ;

(v) SIMI has published objectionable posters and literature which are calculated to incite communal feelings and which question the territorial integrity of India;

(vi) SIMI is involved in engineering communal riots and disruptive activities in various parts of the country;

And whereas the Central Government is also of the opinion that for the aforesaid reasons, the activities of SIMI are detrimental to the peace, integrity and maintenance of the secular fabric of Indian society and that it is an unlawful association ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Students Islamic Movement of India (SIMI) to be an unlawful association;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SIMI are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity of-

(i) escalating secessionism and supporting militancy ;

(ii) instigating communal violence in different parts of the country and thereby disrupting the secular fabric of the country.

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the SIMI mentioned above, it is necessary to declare the SIMI to be an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 14017/7/2003-NI-III]
A. K. JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.